

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.12(09)नविवि/मण्डली खुर्द(पाली)/2026-17706

जयपुर, दिनांक:—यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, पाली द्वारा राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 90/6 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, 90/7 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90/8 रकबा 0.1133 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 90/9 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, कुल रकबा 3.5127 हैक्टेयर भूमि में “श्री राम विहार व्यावसायिक योजना” बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार हैं :-

पूर्व :-	राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 91/2
पश्चिम :-	राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 202
उत्तर :-	राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 90/1, 90/2, 90/3, 90/4 व 90/5 की भूमि (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62)
दक्षिण :-	राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 202, 201 व 197

उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, पाली के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, पाली।
6. आयुक्त, नगर परिषद्, पाली।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, पाली।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
10. सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने हेतु।
11. प्रोग्रामर, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम